13

उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

विविध (आपूर्ति) अपील वाद संख्या–03/2017

ज्योति महिला विकास समिति बनाम झारखण्ड राज्य ।

आदेश

15.9.17

ज्योति महिला विकास समिति, जन वितरण प्रणाली, पुरनाडीह के अध्यक्ष श्रीमती मीना देवी पति–द्वारिका नाथ एवं कोषाध्यक्ष श्रीमती ललिता देवी पति–श्री रंजीत गोस्वामी, दोनों निवास ग्राम–पुरनाडीह, पोस्ट–फुलवरिया, थाना–नवलशाही, जिला–कोडरमा के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 600/आ0 दिनांक 28–11–16 के विरूद्ध विविध (आपूर्ति) अपील वाद दायर किया गया है। उक्त आदेश द्वारा ज्योति महिला विकास समिति, जन वितरण प्रणाली, पुरनाडीह की अनुज्ञप्ति संख्या–03/2009 को रद्द किया गया है।

अपीलार्थी के आवेदन में अंकित है कि अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा अनुज्ञप्ति संख्या–09/2009 को रद्द किये जाने संबंधी आदेश को Set-aside करते हुए इस अपील को स्वीकृत करने एवं अपीलार्थी को पुर्नबहाल करने का अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दायर लिखित आवेदन निम्नवत् है:–

1. यह कि ज्योति महिला विकास समिति, जन वितरण प्रणाली, अनुज्ञप्ति संख्या–09/2009 की अध्यक्ष श्रीमती मीना देवी, सचिव, श्रीमती चन्दवा देवी एवं कोषाध्यक्ष श्रीमती सरस्वती देवी थी, परन्तु ज्योति महिला विकास समिति की बैठक 15–11–2015 को अध्यक्ष श्रीमती मीना देवी की अध्यक्षता में हुई थी जिसमें सर्वसम्मति से पूर्व कोषाध्यक्ष श्रीमती सरस्वती देवी के स्थान पर श्रीमती ललीता देवी पति श्री रंजीत गोस्वामी का चयन किया गया था, जिसकी स्वीकृति श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा दी गई थी। तदनुसार ज्ञापांक संख्या–311/आ0 दिनांक 01–04–16 जारी किया गया था जो श्रीमती सरस्वती देवी को नागवार लगा था उसी कारण से श्रीमती सरस्वती देवी समिति के अन्य संबंधित लोगों के साथ मिलकर तथा उन्हे मिलाकर समिति की अनुज्ञप्ति संख्या–09/2009 को रद्द करवाने की साजिश करने लगी और कालक्रम में समिति के पदाधिकारी पर झूठा आरोप लगाकर अनुज्ञप्ति संख्या–09/2009 को रद्द आदेश पाने में सफलता कर ली, जिसके विरूद्ध यह अपील दायर करना आवश्यक हो गया।
2. यह कि दिनांक 21–01–2017 को ज्योति महिला विकास समिति की बैठक की गई जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ज्योति महिला विकास समिति, जन वितरण प्रणाली, पुरनाडीह की ओर से श्रीमान के न्यायालय में एक अपील दायर किया जाना न्यायोचित है जिसके लिए ज्योति महिला विकास समिति, जन वितरण प्रणाली, पुरनाडीह की अध्यक्ष श्रीमती मीना देवी एवं कोषाध्यक्ष श्रीमती ललीता देवी को अधिकृत किया गया ताकि अपील दायर किया जा सके।
3. यह कि ज्योति महिला विकास समिति, जन वितरण प्रणाली, पुरनाडीह की अध्यक्ष श्रीमती मीना देवी को जानकारी मिली कि दिनांक 28–09–2016 को मंडल के सदस्य श्रीमती सरस्वती देवी एवं सचिव श्रीमती चन्दवा देवी दोनों मिलकर डोमचांच गोदाम से जन वितरण प्रणाली का खाद्य सामग्री का उठाव किये हैं तो अपीलकर्त्ता दुकान पहुँची तो उक्त सदस्य एवं सचिव ने कहा कि दो क्विंटल अनाज कम आया है तथा संबंधित एम0ओ0 साहब ने भी दो क्विंटल अनाज कम मिलने की तथा उसपर कार्रवाई होने की सूचना दिये है, तो अपीलकर्त्ता को शक हुआ कि दोनों मिलकर अपीलकर्त्ता को फंसाने के लिए रास्ता में ही दो क्विंटल अनाज की बिक्री कर दिये है तब अपीलकर्त्ता ने उपरोक्त आशय की सूचना श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा को आवेदन दिनांक 28–09–2016 को दे दिया था।

C.C. 1/10 28a 16.9.17

उपायुक्त का न्यायालय कोडरमा

Scanned with CamScanner

4. यह कि श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा अध्यक्ष श्रीमती मीना देवी के उपरोक्त आवेदन की छायाप्रति अपने कार्यालय के पत्रांक 509/आ0 दिनांक 29–09–2016 के द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, डोमचांच को भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन मंतव्य के साथ माँगी गई जिसके आलोक मे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, डोमचांच के पत्रांक 72 दिनांक 27–10–2016 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन मंतव्य के साथ श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा को प्राप्त हुआ था, जिसमें प्रतिवेदित था कि जाँच से स्पष्ट हुआ था कि माह सितम्बर 2016 के आवंटन के विरूद्ध खाद्यान्न का आपूर्ति परिवहन अभिकर्त्ता के द्वारा डोर स्टेप डिलेवरी के तहत उनके दुकान तक पहुँचाने के बाद श्रीमती ललीता देवी द्वारा खाद्यान्न प्राप्त किया गया है। ज्योति महिला विकास समिति, जन वितरण प्रणाली, पुरनाडीह की अध्यक्ष श्रीमती मीना देवी द्वारा आरोप लगाया गया है कि माह सितम्बर 2016 के विरूद्ध आवंटित खाद्यान्न सदस्य सरस्वती देवी एवं सचिव चन्दवा देवी द्वारा खाद्यान्न का उठाव किया गया है जबकि खाद्यान्न प्राप्त कोषाध्यक्ष ललीता देवी द्वारा किया गया है जो अध्यक्ष मीना देवी की बहु भी है। दिनांक 07–10–16 को दुकान के भंडार का सत्यापन के क्रम में भंडार पंजी का संधारण सही पाया गया है।

उपरोक्त प्रतिवेदन तथा मंतव्य के आलोक में श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा के अध्यक्ष मीना देवी के आवेदन में सदस्य सरस्वती देवी एवं सचिव चन्दवा देवी के उपर लगाये गये आरोप को निराधर एवं असत्य को ही आधार माना तथा मीना देवी द्वारा ही खाद्यान्न की कालाबाजारी की मंशा को आधार मानकर ज्योति महिला विकास समिति, जन वितरण प्रणाली के तहत अनुज्ञप्ति संख्या–09/2009 को निलंबित कर 15 दिनों के अंदर समिति अध्यक्ष श्रीमती मीना देवी से स्पष्टीकरण मांगा कि क्यों नही अपीलकर्त्ता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया जाय तदनुसार निलंबन तथा स्पष्टीकरण हेतु ज्ञापांक 552/आ0 दिनांक 12–11–2016 जारी कर दिया गया जिसकी प्रतिलिपि समिति अध्यक्ष श्रीमती मीना देवी के अलावे संबंधित अधिकारियों एवं थोक किरासन तेल विक्रेता झुमरी तिलैया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिया गया।

5. यह कि ज्योति महिला विकास समिति, जन वितरण प्रणाली, पुरनाडीह स्थित दुकान के भंडार में दिनांक 07–10–16 को किये गये सत्यापन के क्रम भंडार पंजी का संधारण सही पाया गया यानि किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गई फिर भी अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा ने मान लिया कि समिति अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष द्वारा जान–बुझकर दिगभ्रमित किया गया है कालाबाजारी की मंशा है, जबकि श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी का मानना उनका मात्र अनुमान ही था जिससे सत्यता नहीं थी। वास्तविकता यह थी कि समिति अध्यक्ष श्रीमती मीना देवी को संपूर्ण तथ्यों की जानकारी नहीं थी। इसी कारण उन्होंने अपने स्पष्टीकरण दिनांक 18–11–2016 में साफ–साफ माना कि उन्हें माह सितम्बर 2016 के आवंटन के विरूद्ध खाद्यान्न परिवहन अभिकर्त्ता के द्वारा डोर स्टेप डिलेवरी के तहत दुकान तक पहुंचाने के बाद श्रीमती ललीता देवी के द्वारा खाद्यान्न प्राप्त किया गया था इसके अलावे फोन से एम0ओ0 सहाब डोमचांच के नाम पर एक समिति अध्यक्ष मीना देवी को बताया तथा डराया गया था कि दो क्विंटल गेहूं कम है और इसके लिए दुकान निलंबित हो सकता है तब हड़बड़ी एवं परेशानी में बिना पूछ–ताछ के अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा को दिनांक 28–09–16 में सदस्य सरस्वती देवी एवं सचिव चन्दवा को आरोपित करते आवेदन दे दिया जिसे समिति अध्यक्ष श्रीमती मीना देवी ने अपने स्पष्टीकरण मे स्वीकार किया कि उन्होने भूलवचश दोनो को आरोपित कर दिया है। साथ ही साथ उनके स्पष्टीकरण में यह भी स्पष्ट वर्णित है कि आज तक लाभुकों को उनके द्वारा उचित मूल्य पर निर्धारित मात्रा में राशन की आपूर्ति की जाती रही है। इसलिए लाभुकों द्वारा उनके विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत नहीं है।

6. यह कि उपरोक्त स्पष्टीकरण दिनांक 18–11–16 को अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा असंतोषजनक मान कर ज्योति महिला विकास समिति, जन वितरण प्रणाली, पुरनाडीह की अध्यक्ष श्रीमती मीना देवी को निर्गत अनुज्ञप्ति संख्या–09/2009 ग्राम–पुरनाडीह, थाना–नवलशाही, प्रखंड–डोमचांच, जिला–कोडरमा को तत्कालीन प्रभाव से रद्द करते हुए ज्ञापांक 600 दिनांक 28–11–2016 जारी कर दिया गया। समिति अध्यक्ष मीना देवी द्वारा दिनांक 03–12–2016 को एक आवेदन देकर श्रीमान से प्रार्थना किया गया कि अपने स्तर से समुचित जाँच कर ज्योति महिला विकास समिति का जन वितरण प्रणाली के तहत अनुज्ञप्ति संख्या–09/2009 को पुनः बहाल करने की कृपा की जाय।

7. यह कि अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा जारी अनुज्ञप्ति संख्या–09/009 का निलंबन आदेश एवं रद्द करने का आदेश न्यायोचित नही है क्योंकि समिति अध्यक्ष श्रीमती मीना देवी द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है।

Scanned with CamScanner

14

अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा के आदेश ज्ञापांक 600/आ0 दिनांक 28-11-16 के आदेश में अंकित है कि श्रीमती मीना देवी, अध्यक्ष, ज्योति महिला विकास समिति, जन वितरण प्रणाली, पुरनाडीह, थाना-नवलशाही, जिला-कोडरमा का आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ है। जिसकी छायाप्रति इस कार्यालय के पत्रांक 509/आ0 दिनांक 29-09-15 के द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, डोमचांच को भेजते हुए जांच प्रतिवेदन मंतव्य के साथ मांग की गई है। जिसके आलोक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, डोमचांच के पत्रांक 72 दिनांक 27-10-16 के द्वारा जांच प्रतिवेदन मंतव्य के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ है। जांच करने पर यह स्पष्ट हुआ कि माह सितम्बर 2016 के आवंटन के विरूद्ध खाद्यान्न का परिवहन अभिकर्त्ता के द्वारा डोर स्टेप डिलेवरी के तहत उनके दुकान तक पहुंचाने के बाद श्रीमती ललिता देवी के द्वारा खाद्यान्न प्राप्त किया गया है। ज्योति महिला विकास समिति, जन वितरण प्रणाली, पुरनाडीह के अध्यक्ष श्रीमती मीना देवी के द्वारा आरोप लगाया है कि माह सितम्बर 2016 के विरूद्ध आवंटित खाद्यान्न सदस्य-सरस्वती देवी एवं सचिव-चन्दवा देवी के द्वारा खाद्यान्न का उठाव किया गया है। जबकि खाद्यान्न प्राप्त कोषाध्यक्ष-ललिता देवी के द्वारा किया गया है जो अध्यक्ष-मीना देवी की बहु भी है। दिनांक 07-10-16 को दुकान के भंडार का सत्यापन के क्रम में भंडार पंजी का संधारण सही पाया गया है। श्रीमती मीना देवी के आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा जानबुझकर सदस्य-सरस्वती देवी एवं सचिव-चन्दवा देवी के उपर जो आरोप लगाया जा रहा है वो निराधार एवं असत्य है। साथ ही साथ यह प्रतीत होता है कि उनके द्वारा स्वयं खाद्यान्न का कालाबाजारी करने की मंशा से ऐसा की होगी। साथ ही अध्यक्ष-मीना देवी एवं कोषाध्यक्ष -ललिता देवी के द्वारा जानबुझकर दिग्रभ्रमित किये जाने एवं कालाबाजारी करने की मंशा से रखने के कारण ज्योति महिला विकास समिति, जन वितरण प्रणाली, अनुज्ञप्ति संख्या-09/2009, ग्राम-पुरनाडीह, थाना-नवलशाही, प्रखंड-डोमचांच, जिला-कोडरमा के अनुज्ञप्ति को निलंबित करने की अनुशंसा की गई। जिसके आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक-552/आ0 दिनांक 12-11-2016 के द्वारा विक्रेता को निलंबित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गई। विक्रेता के द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है, जो असंतोषजनक है।

सरकारी अधिवक्ता, कोडरमा के द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कोडरमा के जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा के आदेश ज्ञापांक 600/आ0 दिनांक 28-11-16 के द्वारा ज्योति महिला विकास समिति, जन वितरण प्रणाली, पुरनाडीह के अध्यक्ष श्रीमती मीना देवी की अनुज्ञप्ति संख्या-09/2009 को रद्द किये जाने संबंधी आदेश को न्याय संगत बताया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कोडरमा के जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा के ज्ञापांक 600/आ0 दिनांक 28-11-16 के द्वारा ज्योति महिला विकास समिति, जन वितरण प्रणाली, पुरनाडीह के अध्यक्ष श्रीमती मीना देवी की अनुज्ञप्ति संख्या-09/2009 को रद्द किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्त्तों का उल्लंघन किया जा रहा था। अतः अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा का आदेश उचित प्रतीत होता है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा के आदेश ज्ञापांक 600/आ0 दिनांक 28-11-16 को यथावत रखते हुए अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त, कोडरमा 13/5

उपायुक्त का न्यायालय कोडरमा

उपायुक्त
कोडरमा। 15/5